बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र सं० –NHM/BHDS/616/2018 (Part-II)-पी०पी०एम०-68 -/NHM, पटना दिनांक 19/06/ 2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित द्वारा– वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : **राज्य स्कीम की मद से फल एवं सब्जी के Export हेतु APEDA/MOFPI Approved Pack House की स्थापना (Establishment of APEDA/MOFPI Approved Pack House for Export of Fruits and Vegetables) हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना मद से कुल 32.32700 लाख (बत्तीस लाख बत्तीस हजार सात सौ) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राज्य स्कीम मद से फल एवं सब्जी के Export हेतु APEDA/MOFPI Approved Pack House की स्थापना (Establishment of APEDA/MOFPI Approved Pack House for Export of Fruits and Vegetables) हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना मद से कुल 32.32700 लाख (बत्तीस लाख बत्तीस हजार सात सौ) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–527 दिनांक 04.03.2020 के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–RAFTAAR अन्तर्गत Export पैक हाऊस हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में केन्द्रांश 224.28 लाख (दो करोड़ चौबीस लाख अठाईस हजार) रूपये एवं राज्यांश 149.52 लाख (एक करोड़ उनचास लाख बावन हजार) रूपये कुल 373.80 लाख (तीन करोड़ तिहत्तर लाख अस्सी हजार) रूपये की लागत व्यय पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गयी थी।

उक्त स्वीकृति के आलोक में आवंटन संख्या–(F.Y. 2019-20) दिनांक 19.03.2020 के द्वारा केन्द्रांश मद में सामान्य वर्ग के लिए 186.1524 लाख (एक करोड़ छियासी लाख पन्द्रह हजार दो सौ चालीस) रूपये एवं राज्यांश मद में सामान्य वर्ग के लिए 124.1016 लाख (एक करोड़ चौबीस लाख दस हजार एक सौ साठ) रूपये कुल 310.2540 लाख (तीन करोड़ दस लाख पचीस हजार चार सौ) रूपये मात्र आवंटित किया गया था। पूर्ण राशि का आवंटन प्राप्त नही होने के कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–RAFTAAR मद से केन्द्रांश 38.1276 लाख (अड़तीस लाख बारह हजार सात सौ साठ) रूपये एवं राज्यांश 25.4184 लाख (पचीस लाख एकतालीस हजार आठ सौ चालीस) रूपये कुल 63.546 लाख (तीरसठ लाख चौवन हजार छः सौ) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति स्वीकृत्यादेश संख्या–पी.पी.एम.–70/2020–40 दिनांक 03.09.2020 द्वारा दी गई थी।

3. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–198 दिनांक–25.03.2025 द्वारा राज्य स्कीम मद से फल एवं सब्जी के Export हेतु APEDA/MOFPI Approved Pack House की स्थापना (Establishment of APEDA/MOFPI Approved Pack House for Export of Fruits and Vegetables) हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य योजना मद से कुल 32.32700 लाख (बत्तीस लाख बत्तीस हजार सात सौ) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गयी थी, किन्तु वित्त विभाग के पत्र संख्या 2867 दिनांक 13.03.2025 द्वारा कोषागार में दिनांक 25.03.2025 तक विपत्र प्रस्तुत करने की तिथि निर्धारित थी। उक्त पत्र के कंडिका–2 के उप कंडिका–ii अन्तर्गत पी.एल.ए. खाता में राशि अंतरण के मामले में Special Assistance to States for Capital Investment से संबंधित राशि को छोड़कर अन्य सभी मामलों में वित्त विभागीय सहमति के उपरान्त ही पी.एल.ए. खाता में राशि हस्तानांतरित करने हेतु निर्देश वर्णित था, जिसके फलस्वरूप राशि की निकासी संबंधित प्रक्रिया नही हो सकी।

4. दिनांक 22.10.2019 को RKVY की SLSC की बैठक में पैक हाउस योजना की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ किया गया है कि पैक हाउस निर्माण मदों अन्तर्गत विहित जानकारी APEDA से प्राप्त कर APEDA के गाईडलाइन के अनुसार पैक हाउस की स्थापना की जाय।

उक्त के आलोक में APEDA की अनुशंसा के क्रम में संशोधित वित्तीय लक्ष्य 406.127 (चार करोड़ छः लाख बारह हजार सात सौ) रूपये मात्र निर्धारित किया गया, जो स्वीकृत राशि 373.80 लाख (तीन करोड़ तिहत्तर लाख अस्सी हजार) रूपये से 32.327 (बत्तीस लाख बत्तीस हजार सात सौ) लाख रूपये अधिक था। अतएव वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम मद से कुल 32. 32700 लाख रूपये की स्वीकृति दी जा रही है।

5. योजना के तहत् बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान संस्थान, मीठापुर, पटना के परिसर में APEDA/MOFPI Approved Pack House की स्थापना की गयी है। APEDA/MOFPI, भारत सरकार के तकनीकी मार्गदर्शन में उक्त संस्थान के प्रचलित Guideline के अनुसार Export Pack House की स्थापना की गई है तथा इसका संचालन हो रहा है। फलतः यह योजना चालू योजना की श्रेणी में आती है।

6. इस योजना हेतु 33–01 सब्सिडी विषय शीर्ष से स्वीकृति दी जा रही है परन्तु इस शीर्ष में बजट उपबंध उपलब्ध नहीं है। उद्यान निदेशालय के लिए राज्य योजना मद में 31–06 सहायक अनुदान – गैर वेतन विषय शीर्ष में बजट उपबंध उपबंधित है परन्तु इस विषय शीर्ष में वित्त विभागीय परामर्श अनुसार विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि स्वीकृत/आवंटित करना नियमानुकूल नहीं होने के कारण निदेशक, उद्यान द्वारा सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित राशि को 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाएं मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपबंधित करने हेतु बजट पदाधिकारी –सह– उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार से अनुरोध किया गया है। 33–01 सब्सिडी मद में वित्त विभाग द्वारा राशि उपबंधित होने के पश्चात् ही इस योजना हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।

7. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में अनुसूची–1 के अनुरूप निदेशक उद्यान, बिहार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से BTC Form-25 पर CFMS के माध्यम से संबंधित कम्पनी/एजेन्सी को DBT in CASH के रूप में भुगतान किये जाने हेतु निकासी की जायेगी।

8. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार, पटना होंगे।

D:\YOGNA 2025-26\Mlrnal Sastri Sir (Gaurav)\APEDA Pack House (32.32700).doc

9. इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रूपये में)

	बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
(i)	मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401001190101, विषय शीर्ष 0101.33.01 सब्सिडी।	19084.491	25.38866
(ii)	मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0130– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007890130, विषय शीर्ष 0130.33.01 सब्सिडी।	4860.000	6.46540
(iii)	मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0152– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007960152, विषय शीर्ष 0152.33.01 सब्सिडी।	355.509	0.47294
	योग	**24300.000**	**32.3270**
उद्यान निदेशालय के पत्रांक–431 दिनांक–18.04.2025 के द्वारा विषयशीर्ष 31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन में उपलब्ध उपबंधित राशि को विषयशीर्षवार 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाएँ मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध कराने हेतु उप सचिव–सह–बजट पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के आलोक में विषयशीर्षवार राशि का उपबंध अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्ति होने के पश्चात ही राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।			

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 वि० (2) दिनांक–03.12.2024 एवं पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या NHM/BHDS/616/2018 (Part-II) के पृ०सं०–165/टि०, पर दिनांक–17.06.2025 को प्राप्त है।

11. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि०(2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या –NHM/BHDS/616/2018 (Part-II) के पृष्ठ संख्या–167/टि0 पर दिनांक–18.06.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–452 दिनांक–18.06.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/616/2018 (Part-II) -बा०वि०(प्रा०)-68- पटना दिनांक 19/06/ 2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOGNA 2025-26\Mirnal Sastri Sir (Gaurav)\APEDA Pack House (32.32700).doc

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/616/2018 (Part-II) - पी०पी०एम०-68 – पटना दिनांक 19/06/ 2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/616/2018 (Part-II) - पी०पी०एम०-68 – पटना दिनांक 19/06/ 2025

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/616/2018 (Part-II) - पी०पी०एम०-68 – पटना दिनांक 19/06/ 2025

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/616/2018 (Part-II) - पी०पी०एम०-68 – पटना दिनांक 19/06/ 2025

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक/संबंधित उप निदेशक/संबंधित, सहायक निदेशक उद्यान/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/616/2018 (Part-II) - पी०पी०एम०-68 – पटना दिनांक 19/06/ 2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

19/6

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOGNA 2025-26\Mirnal Sastri Sir (Gaurav)\APEDA Pack House (32.32700).doc

अनुसूची – 1

वित्तीय वर्ष 2025–26 में फल एवं सब्जी के Export हेतु APEDA/MOFPI Approved Pack House की स्थापना (Establishment of APEDA/MOFPI Approved Pack House for Export of Fruits and Vegetables) के तहत् निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

(राशि लाख रू० में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	सामान्य जाति (78.537%)	अनुसूचित जाति (20.00%)	अनुसूचित जनजाति (1.463%)	**कुल वित्तीय लक्ष्य**
1	निदेशक उद्यान, बिहार, पटना।	25.38866	6.46540	0.47294	32.32700
कुल योग		**25.38866**	**6.46540**	**0.47294**	**32.32700**

(मो० बत्तीस लाख बत्तीस हजार सात सौ रूपये)

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।